कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर।

फोन नं0– 0132–2971155 फैक्स न0–0312 2971132
वेबसाइड– www.smmhmedicalcollege.com

संख्या–रा0मे0का0स0 / विज्ञप्ति / 2023 / ई0सी0–1 / 2242

दिनांक–09.10.2023

संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के पदों पर साक्षात्कार वाक–इन–इन्टरव्यू हेतु रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति।

शासनादेश संख्या–4661 / 71–1–08–जी–63 / 2008 दिनांक 15.12.2008 एवं तत्क्रम में जारी अन्य शासनादेशों के अनुपालन में एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में रिक्त आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतदद्वारा आमंत्रित किये जाते है। उक्त पदों पर दिनांक **08.11.2023 (बुधवार)** को तथा उसके पश्चात रिक्तियां पूर्ण होने तक सप्ताह में 02 दिन **प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार** को साक्षात्कार आयोजित किये जायेगें। इन पदों पर साक्षात्कार (Walk-in- Interview) के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर शासन / महानिदेशालय के स्तर से चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह उक्त पदों पर साक्षात्कार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर के काउंसिल हॉल, प्रशासनिक भवन में प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे के मध्य उपस्थित होना सुनिश्चित करे। उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–5 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का–2 / 2019 टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2019 के द्वारा 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों का विवरण विभागवार निम्नवत् है।

क्रम सं0	विशिष्टता का नाम	रिक्त पदों का विवरण 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार											
		आचार्य				सह–आचार्य				सहायक आचार्य			
		S.C.	GEN	OBC	EWS	S.C.	GEN	OBC	EWS	S.C.	GEN	OBC	EWS
1.	आप्थलमोलॉजी	0	0	0	0	0	01	0	0	01	0	0	0
2.	आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	0
3.	इम्यूनाहिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
4.	इमरजेन्सी मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	01	0	0	01	0	0
5.	एनेस्थीसियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	01
6.	कम्यूनिटी मेडिसन	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	01	0
7.	जनरल मेडिसन	0	0	0	0	0	0	0	0	01	02	01	0
8.	जनरल सर्जरी	0	0	0	0	0	0	0	0	01	02	0	0
9.	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसन / पल्मोनोरी मेडिसन	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0
10.	पीडियाट्रिकस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
11.	पैथोलॉजी	0	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0
12.	फार्माकोलॉजी	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	फिजिकलमेडिसन एण्ड रिहैबिलिटेशन	0	0	01	0	0	0	01	0	01	0	0	0
14.	फोरेन्सिक मेडिसन	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	बायोकैमिस्ट्री	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	रेडियोडायग्नोसिस	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	01	0
18.	रेडियोथैरेपी	0	0	01	0	01	0	0	0	01	0	0	01
19.	साइक्याट्री	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0
	Total	**02**	**03**	**03**	**0**	**02**	**02**	**04**	**0**	**06**	**07**	**06**	**02**

नोटः– किसी भी विभाग में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एम0सी0आई0 के मानकों की पूर्ति हेतु साक्षात्कार के समय अन्य श्रेणी के उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी से उक्त पद को भरे जाने हेतु इस शर्त के साथ कि न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि अथवा पद पर नियमित / अगली नियुक्ति होने अथवा उक्त श्रेणी का अभ्यर्थी मिलने तक जो भी पहले घटित हो, पर विचार किया जा सकता है।

Principal
S.M.M.H. Medical College
Saharanpur, U.P.

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है–

01. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यो को शासनादेश संख्या–104/2019/5044(1)271–1–2019–जी–63/2008 दिनांक–21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन रू 1,35,000/– सह–आचार्यो को नियत वेतन रू 1,20,000/– एवं सहायक आचार्यो का नियत वेतन रू 90,000/– प्रतिमाह देय है। वेतन के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जाएगा। शासकीय पत्र सं0 250/2018/4067/71–1–2017–जी–63/2008 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक–20 सितम्बर 2018 एवं शासकीय पत्र संख्या–71–1001(099)/304/2021–1–435 I/111674/2021 दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्त करने हेतु नियत वेतन रू 2,20,000/– प्रतिमाह दिया जाएगा। सेवा शर्तो विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कॉलेज की वेबसाइड पर प्रदर्शित है। आवेदक को **Medical council of India, Minimum, Qualification for teacher in Medical Institions Reglation, 1999** द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्तायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्तो, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

02. **शासनादेश संख्या–562/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10.06.2020 के प्रस्तर–2 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष तथा सह–आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।**

03. एन0एम0सी मानकों के अनुसार सहायक–आचार्य पद के लिए सम्बन्धित विभाग में 01 वर्ष का एस0आर0/ट्यूटर अथवा एन0एम0सी मानको के अनुरूप अनुभव होना अनिवार्य है।

04. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होना आवश्यक है।

05. चयनित चिकित्सा शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रेक्टिस नही करेंगें।

06. प्राईवेट प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षको को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।

07. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजो को प्राईवेट में देखने के लिए बाध्य नही करेगा।

08. प्राईवेट प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।

09. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी भी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नही होगें।

10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगीं एवं सेवा सतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

11. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा एक वर्ष की संतोषजनक सेवाओं के पश्चात उ0प्र0 शासन के शासनादेशों के अनुरूप ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।

13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन संबन्धी सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नही होगा।

14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितयीकरण के लिए हकदार नही होगें।

15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या उसके बदले एक माह का वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको की अन्य सेवा शर्ते ऐसी होगीं जिसे करार या अनुबंध में विनिर्दिष्टि की जायें। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जाएगा कि भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितिकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नही करेंगें और न ही उन्हे निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

Principal
S.M.M.H. Medical College
Saharanpur, U.P.

17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगें कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नही है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगीं।
18. उक्त संविदा पदो पर चयन, महाविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा लखनऊ के द्वारा की जाएगी। अन्तिम चयन की प्रकिया शासन/महानिदेशालय द्वारा निर्गत आदेशो/निर्देशो के अधीन होगी।
19. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2019 के अनुसार शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिन्दु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
20. नियुक्ति सम्बन्धी शर्ते कॉलेज की वेबसाइड www.smmhmedicalcollege.com अथवा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ की वेबसाइड www.updgme.com पर प्रदर्शित है।
21. पदों की संख्या घटायी या बढायी जा सकती है।
22. साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता कोई देय नही होगा।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
सहारनपुर।

Principal
S.M.M.H. Medical College
Saharanpur, U.P.

संख्या–रा0मे0का0स0/विज्ञप्ति/2023/ई0सी0–1/2441 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षक अनुभाग–1 लखनऊ।
2. महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ को इस आश्य के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइड पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बदॉयूं को इस आश्य के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी–वेबसाइड, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर को इस आश्य के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कॉलेज की वेबसाइड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त सदस्य चयन समिति, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर।
7. नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
सहारनपुर।

Principal
S.M.M.H. Medical College
Saharanpur, U.P.